



(142)

R 61। जी। ०८

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म० प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

१२००८ निरानी

- १। देवतादीन पुत्र स्व० श्री रामराय मित्र
- २। अन्निकुमार पुत्र श्री देवतादीन मित्र
- ३। आशुतोष मित्र पुत्र स्व० श्री घनेश्वरी प्रसाद मित्र
- ४। आनन्द दीपक मित्र पुत्र श्री घनेश्वरी प्रसाद मित्र
- ५। देवानन्द मित्र पुत्र स्व० श्री घनेश्वरी प्रसाद मित्र  
सभी निवासीगण ग्राम कटांगी, तहसील त्योथर, जिला रीवा, म० प्र० ---  
प्राथोगिण

#### विषद्

राजेश्वरी प्रसाद मित्र पुत्र श्री केशवदीन  
देवतादीन मित्र, निवासी ग्राम कटांगी  
तहसील त्योथर, जिला रीवा, म० प्र०  
-- प्रतिपाठी

निरानी विषद् आदेश अपर आयुक्त महोदय, रीवा संभाग  
दिनांक १०३-०८। निरानी अन्तर्गत धारा ५० मध्य प्रदेश  
मूर राजस्व संहिता, १९५६। प्र० क० ३७३। ०६-०७ अप्रैल।

श्रीमान,

निरानी का आवेदन एवं निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

- (१) यहकि श्रीनस्थ न्यायालयों की आज्ञायें कानून सही नहीं हैं।
- (२) यहकि श्रीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग—अ

प्रकरण क्रमांक निग0 611—तीन/2008

जिला—रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26 -9-16	<p>आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस0के0 अवस्थी उपस्थित। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।</p> <p>2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क दोहराये गये हैं जो निगरानी मेमों में हैं। अतः उसे दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है।</p> <p>3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्र0 373/2006-07/अपील में पारित आदेश दिनांक 01.03.08 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959(आगे जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।</p> <p>4/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने से स्पष्ट है कि आवेदगण का यह तर्क कि तहसीलदार के द्वारा तारीख पेशियां में मस्कूरियत की गई हैं, तथा कोई स्थल जांच व पंचनामा नहीं किया गया। मैंने तहसील न्यायालय की आदेश पत्रिका का अध्ययन किया जिससे स्पष्ट हुआ कि तहसीलदार ने प्रकरण को दिनांक 16.05.05 को पंजीबद्ध कर पटवारी से प्रतिवेदन लिये जाने हेतु आदेशित किया और पेशी दिनांक 21.07.05 नियत की गई तथा 21.07.05 के पश्चात दिनांक 30.07.05 को अनुविभागीय</p>	M

अधिकारी, त्योंथर ने प्रकरण में बिन्दुवार टीप तथा प्रकरण भेजने का आदेश पारत किया है। जहां से प्रकरण पुनः दिनांक 10.08.05 को प्रस्तुत होने पर तहसीलदार ने कार्यवाही की है इसलिये तारीख पेशी में कोई मस्कूकियत परिलक्षित नहीं होती है। जहां तक स्थल पंचनामा व पटवारी प्रतिवेदन का प्रश्न है तहसीलदार ने मौके पर जाकर प्रतिवेदन लिया है तथ स्थल पंचनामा में सभी के हस्ताक्षर बने हैं। चैकि उभय पक्ष एक ही परिवार के सदस्य है इसलिये चोरी-छिपे कार्यवाही कराने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। अधीनस्थ न्यायालय ने भी विवेचना उपरांत विधिसम्मत निष्कर्ष निकालते हुये आदेश पारित किया है। वैसे भी राजस्व अधिकारी का दायित्व होता है कि मौके की स्थिति के अनुसार राजस्व अभिलेखों को अद्यतन रखा जाये। इस प्रकरण में दो महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न यह है कि—

1. क्या म०प्र० भू-राजस्व संहिता की धारा 115-116 के अन्तर्गत कब्जा अंकित किया जा सकता है?
2. क्या संहिता की धारा 115-116 के अन्तर्गत नवीन प्रविष्टि की जा सकती है?

संहिता की धारा 115 में यह प्रावधानित है कि—

115. खसरा तथा किन्हीं अन्य भू-अभिलेखों में गलत प्रविष्टि का वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा शुद्धिकरण—यदि किसी तहसीलदार को यह पता चले कि उसके अधीनस्थ पदाधिकारी द्वारा धारा 114 के अधीन तैयार किये गये भू-अभिलेखों में गलत या अशुद्ध प्रविष्टि की गई है, तो वह सम्यक् लिखित सूचना देने के पश्चात सम्बन्धित व्यक्तियों से ऐसी पूछ-ताछ करने के पश्चात जैसी कि वह उचित समझे, उसमें आवश्यक परिवर्तन (लाल स्याही से)

M

३-

किये जाने का निर्देश देगा।

उक्त धारा की व्याख्याएं राजस्व मण्डल एवं मानो उच्च न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न निर्णीत प्रकरणों में की गई हैं जिनके उद्धरण से इस धार पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है, जो इस प्रकार हैं—

1995 आर एन 274 बरफीबाई तथा अन्य विरुद्ध राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर तथा अन्य में मानो उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है—

“भू-राजस्व संहिता 1959 (म.प्र.) — धारा 115—व्याप्ति— तहसीलदार द्वारा स्वयं पूर्वतर प्रविष्टि किया जना निदिष्ट — बाद में धारा 115 का आश्रय लेना अनुज्ञेय नहीं है।”

इसी प्रकार 1989 आर एन 4 रामदास विरुद्ध राजकुमार में इस न्यायालय के खंड पीठ द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है—

“भू-राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) — धारा 116 तथा धारा 115 — के बीच विभेद— धारा 115 के अधीन स्वप्रेरणा से कार्यवाही की जा सकती है — किसी आवेदन की आवश्यकता नहीं — किन्तु धरा 116 के अधीन कार्यवाही केवल आवेदन पर ही की जा सकती है— धारा 116 के अधीन आवेदन — धारा 115 के अधीन विनिश्चित नहीं किया जा सकता।”

1997 आर एन 120 चंद्रमणि राय विरुद्ध मुस. रामकली तथा अन्य राजस्व मण्डल न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है—

भू-राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) — धारा 116 तथा 115 — एक वर्ष के भीतर की गई गलत प्रविष्टि ही सही कराई जा सकती है—कब्जे की प्रविष्टि के लिए विलंबित आवेदन नहीं किया जा सकता—कब्जे के वेश में हक से

M

१

संबंधित प्रविष्टि का भी दावा नहीं किया जा सकता। 1963 रा नि 16 (खंड न्यायपीठ) अवलोकित।

2000 आर एन 177 मोहम्मद विरुद्ध मोहन राजस्व मण्डल न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है—

भू-राजस्व संहित, 1959 (म.प्र.) — धारा 115 तथा 116 — उपबंध— किसी भी पक्षकार का कब्जा लिखने के लिए उपयोग नहीं किए जा सकते — तहसीलदार को स्थल पर जाना चाहिए— भूमिस्वामी की भूमि पर किसी भी व्यक्ति का कब्जा लिखने के लिए पटवारी की रिपोर्ट अथवा उसके साक्ष्य को आधार नहीं बताया जा सकता।

1995 आर एन 32 भारतसिंह विरुद्ध कमलसिंह तथा एक अन्य में राजस्व मण्डल न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है—

भू-राजस्व संहित, 1959 (म.प्र.) — धारा 116 तथा 32 — व्याप्ति — भूमिस्वामी को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना कब्जे की प्रविष्टि का आदेश — अधिकारिता रहित है—धारा 116 के अधीन ऐसा आदेश पारित करते हेतु उपबंध नहीं— धारा 32 भी आकर्षित नहीं होती।

1995 आर एन 255 गौरी शंकर तथा एक अन्य विरुद्ध ठाकुरप्रसाद तथा एक अन्य में राजस्व मण्डल न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है—

भू-राजस्व संहित, 1959 (म.प्र.) — धारा 115 तथा 116 — तहसीलदार की अधिकारिता—नई प्रविष्टि नहीं की जा सकती — केवल भू-अभिलेख की विद्यमान गलत या अशुद्ध प्रविष्टि को सही किया जा सकता है।

इस संबंध में 1996 आर एन 295 वंशपतीसिंह विरुद्ध जगदीशसिंह में इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक

✓

1

सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है—

भू-राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) — धारा 115 — के अधीन कार्यवाही। — संदेहपूर्ण— भूमिस्वामी को विधिपूर्ण तामील किए बिना अभिकथित अधिक्रामक का नाम प्रविष्ट— आदेश कायम नहीं रह सकता।

संहिता की धारा 116 में यह प्रावधानित है कि—

116. खसरा या किन्हीं अन्य भू-अभिलेखों में की गई प्रविष्टि के बारे में विवाद— (1) यदि कोई व्यक्ति धारा 114 के अधीन तैयार किये गये भू-अभिलेखों में की किसी ऐसी प्रविष्टि से व्यक्ति हो तो वह ऐसी प्रविष्टि के दिनांक से एक वर्ष के भीतर उसके शुद्धिकरण के लिये तहसीलदार को आवेदन करेगा।

(2) तहसीलदार, ऐसी जाँच करने के पश्चात, जैसी कि वह उचित समझे, मामले में आवश्यक आदेश देगा।

उक्त धारा की व्याख्याएं राजस्व मण्डल एवं मान० उच्च न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न निर्णीत प्रकरणों में की गई हैं जिनके उद्धरण से इस धार पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है, जो इस प्रकार है—

इस संबंध में 2005 आर एन 432 साहब सिंह तथा अन्य विरुद्ध चुन्ना में राजस्व मण्डल द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है—

(1) भू-राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) — धारा 116— राजस्व अभिलेख में विद्यमान प्रविष्टि ठीक करने के लिए उपबंध है— कोई नई प्रविष्टि नहीं की जा सकती जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। 1998 आरएन 211, 1988 आरएन 5 अवलंबित।

इसी प्रकार 1996 आर एन 340 परीमल सिंह विरुद्ध मु. बसंती देवी तथा अन्य में इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है—

M

भू-राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) – धारा 116 – कब्जे की नई प्रविष्टि का दावा नहीं किया जा सकता—व्यक्ति को कोई हक प्राप्त नहीं – कब्जे में होने की प्रविष्टि नहीं की जा सकती— वह ऐसी प्रविष्टि की ईप्सा पिछले दरवाजे से आ कर नहीं कर सकता। 1994 आर एन 395, 411, 1995 आरएन 9 तथा 1986 आर एन 1 अवलंबित।

1994 आर एन 395 विष्णुप्रसाद तथा अन्य विरुद्ध दि नेशनल स्पिरिचुअल असेबली आफ दि वहाइज आफ इंडिया नई दिल्ली तथा अन्य में राजस्व मण्डल न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है—

भू-राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) – धारा 115 तथा 116 – व्याप्ति— कब्जा संबंधी नई प्रविष्टि—नहीं की जा सकती—तहसीलदार या किसी क्षेत्र कर्मचारी को गत वर्षों की किसी प्रकार की नवीन प्रविष्टि करने की अधिकारिता नहीं है—केवल चालू प्रविष्टियों में की गई किसी त्रुटि को शुद्ध किया जा सकता है। 1985 रा नि 16 अवलंबित।

1988 आर एन 55 मिठूशाह तथा अन्य विरुद्ध गोर अली तथा अन्य में राजस्व मण्डल न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है—

भू-राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) – धारा 115 तथा 116 – व्याप्ति—नवीन प्रविष्टि—इन धाराओं के अधीन नहीं की जा सकती। 1985 रा.नि. 16, 1975 रा०नि० 51 तथा 1965 रा०नि० 114 अवलंबित।

1986 आर एन 233 बलदेव तथा अन्य वि० मुस. बुदउआ तथा अन्य में राजस्व मण्डल न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है—

भू-राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) – धारा 115 तथा 116 – इनके अधीन शक्तियों की सीमा—नवीन प्रविष्टि नहीं की

M✓

ग्र

जा सकती।

इस तरह म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 115 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि तहसीलदार को जब स्वयं यह ज्ञात होता है कि उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी ने धारा 114 के अन्तर्गत भू-अभिलेख में कोई त्रुटि की है तो तहसीलदार ऐसी त्रुटि में सुधार संबंधित पक्षकारों को सुनने के पश्चात कर सकेगा। यहां यह भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि धारा 115 में ऐसी त्रुटि सुधार करने की कार्यवाही को समय-सीमा से नहीं बांधा है जबकि धारा 116 में एक वर्ष की समय-सीमा का उल्लेख किया है। धारा 116 में किसी व्यक्ति विशेष द्वारा आवेदन दिये जाने पर तहसीलदार द्वारा कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। दूसरे शब्दों में धारा 115 तहसीलदार को स्वयं कार्यवाही के लिए अधिकार प्रदान करती है जिसमें समयसीमा प्रावधानित नहीं है तथा धारा 116 के अन्तर्गत कार्यवाही किसी व्यक्ति के आवेदन पत्र दिये जाने पर की जा सकती है। जो भू-अभिलेख में की गई प्रविष्टि के एक साल के भीतर आवेदन देने पर की जावेगी।

किसी व्यक्ति को कब्जे इन्द्राज/नवीन प्रविष्टि हेतु संहिता की धारा 115-116 का सहारा लिया जाना विधिसंगत नहीं है।

2006 आर एन 104 चंदनसिंह विरुद्ध कृपाल सिंह में इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है—


(1) भू-राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) — धारा 121, 115 तथा 116— नि. 7 तथा 8 (धारा 121 के अधीन) — नियमों में खसरा तैयार करने के लिए निर्देश और प्रक्रिया का उपबंध है — नियमों के अधीन कोई मामला विनिश्चित नहीं किया जा सकता— किसी भी धारा अर्थात्

M

115, 116 तथा 121 के अधीन कब्जा अभिखित नहीं किया जा सकता — कब्जा अभिलिखित करने के लिए धारा 121 के अधीन तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन फाईल नहीं किया जा सकता। 1995 आर एन 219, 2002 आर एन 59, 1994 आनएन 411, 1992 आर एन 13 तथा 180 आन एन 392 अवलंबित। 1992 आन एन 62 (उच्च न्यायालय) अनुसरित।

**बिन्दु कमांक 1 पर निष्कर्ष—** जहां तक वाद बिन्दु 1 का प्रश्न है कि क्या म०प्र० भू-राजस्व संहिता की धारा 115-116 के अन्तर्गत कब्जा अंकित किया जा सकता है, उपरोक्त वर्णित न्यायदृष्टातों एवं संहिता की धारा में अंकित प्रावधानों के प्रकाश में यह स्पष्ट हो चुका है कि संहिता की धारा 115-116 के अन्तर्गत कब्जा अंकित नहीं किया जा सकता है। दोनों धाराओं की विषय वस्तु में पर्याप्त अंतर है किन्तु सामान्य तौर पर कब्जा लिखवाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय 115-116 लिखकर आवेदन दे दिया जाता है जबकि अपेक्षा यह की जाती है कि जिस धारा की विषयवस्तु के अनुरूप तथ्य हों तदनुसार ही धारा का उल्लेख कर आवेदन दिया जाना चाहिये और तदनुसार ही अधीनस्थ न्यायालय को धारा का स्पष्ट उल्लेख कर प्रकरण निराकृत करना चाहिये।

**बिन्दु कमांक 2 पर निष्कर्ष—** जहां तक वाद बिन्दु कमांक 2 का प्रश्न है कि क्या संहिता की धारा 115-116 के अन्तर्गत नवीन प्रविष्टि की जा सकती है, उपरोक्त वर्णित न्यायदृष्टातों एवं संहिता की धारा 116 में अंकित प्रावधानों के प्रकाश में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि संहिता की धारा 115-116 के अन्तर्गत खसरों में हुई त्रुटियों में सुधार किये जाने का प्रावधान है, किसी प्रकार नवीन प्रविष्टि का किया जाना विधिसंगत नहीं है।



विचारण न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक राजेश्वर प्रसाद द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर धारा 115-116 के तहत कब्जा दर्ज कराने हेतु आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार ने संहिता के प्रावधानों के विपरीत अनावेदक राजेश्वर प्रसाद का कब्जा अंकित करने में त्रुटि की है। संहिता की धारा 116 में किसी व्यक्ति के द्वारा त्रुटि सुधार हेतु निर्धारित समयावधि एक वर्ष के भीतर आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार द्वारा प्रक्रिया का पालन कर उक्त त्रुटि को सुधार करने के आदेश दिये जा सकते हैं, किन्तु नवीन प्रविष्टि की अधिकारिता तहसीलदार को इस धारा के अंतर्गत प्रदान नहीं की गयी है। तहसीलदार ने इसी सिद्धांत का पालन न करते हुये मौके की स्थिति के अनुसार कब्जा दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया है। 5/ उपरोक्त प्रावधान के परिपालन में अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.03.08, अनुविभागीय अधिकारी त्योथर, जिला-रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.12.2006 एवं अपर तहसीलदार जवा, जिला-रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.09.2005 निरस्त किया जाता है। फलतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। तत्पश्चात पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त किया जाकर दाखिल रिकॉड हो।

M

Om  
(के०सी० जैन)  
सदस्य